झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

गोपनीय

संकल्प

विषय :— वित्तीय वर्ष 2017—20 के दौरान केन्द्र प्रायोजित राँची स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत HEC के द्वारा हस्तांतरित किए गए क्षेत्र में **GIS based 220/33 kV (3x65MVA) substation, incoming 220 kV transfmission line** एवं **shifting of existing 132 kV D/C transmission line by underground power cable** का निर्माण करने हेतु मे० झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर कुल राशि 243,20,00,000/—(दो सौ तेतालीस करोड़ बीस लाख) रू0 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 'स्मार्ट सिटी मिशन' के अंतर्गत झारखण्ड राज्य की राजधानी राँची का चयन किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की शीर्ष समिति द्वारा राँची शहर के स्मार्ट सिटी मिशन प्रस्ताव के रूप में उल्लेखित Area Based Development एवं Pan City Projects के रूप में प्रस्तावित परियोजनाओं के शीघ्र एवं ससमय कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है।

2. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राँची शहर में Area Based Development के रूप में HEC प्रक्षेत्र में चिन्हित 656.30 एकड़ भूखण्ड पर Greenfield Development किया जाना प्रस्तावित है।

3. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत राँची शहर में Area Based Development के रूप में HEC प्रक्षेत्र में चिन्हित 656.30 एकड़ भूखण्ड पर उर्जा की मांग लगभग 100 MVA होगी। झारखंण्ड उर्जा विकास निगम लिमिटेड के Sub Station इस उर्जा की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। इस उर्जा की मांग को पूरा करने के लिए एक नया GIS Sub Station के निर्माण की आवश्यकता है, और इसमें लगभग 2 एकड़ भूखण्ड की आवश्यकता है, जबकि पारंपरिक AIS Sub Station के निर्माण हेतु 15—20 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है।

2677
22/05/18

4. स्मार्ट सिटी के प्रस्तावित मास्टर प्लान के अन्तर्गत भूखण्ड के कुछ भाग के ऊपर से 132 kV D/C transmission line गुजर रही है जिसके नीचे किसी तरह का निर्माण संभव नहीं है। स्मार्ट सिटी के प्रावधान के अनुसार कोई भी Over head transmission line नहीं रहनी चाहिए। इस 132 kV D/C transmission line की shifting underground power cable के द्वारा करने की आवश्यकता है।

5. HEC के द्वारा हस्तांतरित किए गए क्षेत्र में GIS based 220/33 kV 3x65 MVA substation, incoming 220 kV transmission line एवं shifting of existing 132 kV D/C transmission line by underground power cable का निर्माण करने हेतु मे० झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, राँची से विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि 231.62 (दो सौ इकत्तीस करोड़ बासठ लाख) रू0 मात्र है। इसके अलावा पर्यवेक्षण एवं तकनीकी सहायता हेतु प्राक्कलित राशि के 5% (पांच प्रतिशत) के आधार पर 11.58 (ग्यारह करोड़ अन्ठावन लाख रूपये) मात्र की राशि का आकलन किय गया है। इस प्रकार कुल 243.20 (दो सौ तेतालीस करोड़ बीस लाख रूपये) मात्र है।

6. तैयार किए गए DPR एवं इसकी प्राक्कलित राशि को महाप्रबंधक—सह—मुख्य अभियंता, Electric Supply Area, राँची के द्वारा तकनीकी परीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. उक्त परियोजना का मुख्य अवयव निम्नवत् है :–

Sr. No.	Description	Cost in Crore Including Taxes
A	Substation Including 220kV/132kV Cable and termination	
1	Electrical + Mechanical (220 kV Cable and 132 kV line shifting to cable for under grounding is included)	161.80
2	Civil	14.70
3	Architecture	4.90
4	Plumbing	0.37
	Total of Substation Cost	181.79
	Total of Substation Cost with 12% contingency	203.59
B	Transmission Line : Over Head	
1	220 kV SC Mandar-Near Hatia Transmission Line	25.03
	Total of Transmission Line Cost	25.03
	Total of Transmission Line Cost considering physical and price contingencies and other financing costs, pre-construction expenses etc. as per Model RFP for selection of Transmission Consultants and as advised by planning commission (12% of total hard costs)	28.03
C	Supervision and Technical Assistance Charges to JUSNL (@2.5%) and JUIDCO Ltd. (@2.5%)	11.58
D	Total of A+B+C	243.20

8. उक्त परियोजना का कार्यान्वयन स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु गठित विशेष प्रयोजन साधन (SPV) राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSCCL) के द्वारा किया जाना है।

9. उपर्युक्त परियोजना का वित्त पोषण स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत प्राप्त केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि से किया जाना है।

10. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में स्मार्ट सिटी मिशन हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं समतुल्य राज्यांश की राशि राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड (RSCCL) के बैंक खाते में संधारित किया जाना है।

11. योजना–सह–वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राँची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु निर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। संधारित की गई इस निधि से प्रसंगाधीन योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

12. उपर्युक्त क्रम में झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को Supervision charge के रूप में यथा अनुमान्य राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा सर्वश्री जुडको लि० से इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त तकनीकी सहायता की एवज में JUSNL को अनुमान्य राशि के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाएगा।

13. इस योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देश, प्रासंगिक विभागीय संकल्प विभागीय अधिसूचना, मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) एवं राज्य मिशन निदेशालय द्वारा समय–समय पर जारी मार्गदर्शन के आलोक में किया जाएगा।

14. उक्त योजना पर दिनांक–10.04.2018 को आहूत मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:– RSCCL/PS/54/2017 2677 **राँची, दिनांक**– 22/05/18

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक:– RSCCL/PS/54/2017 2677 **राँची, दिनांक**– 22/05/18

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची स्मार्ट सिटी कॉरपारेशन लिमिटेड/ श्री कुणाल कुमार विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।